(40)

उत्तरांचल शासन
उद्यान एवं रेशम विभाग
संख्या : 876/उद्यान/ 323 /2002
देहरादून ,दिनांक : 8 नवम्बर ,2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम ,2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन ,उत्तरांचल राज्य के सम्बंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रुप में या संशोधन के रुप में ऐसे अनूकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हों ;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985, (उत्तर प्रदेश का अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम , 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है ;

अत : अब उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम ,2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985, (उत्तर प्रदेश का अधिनियम संख्या 18 सन् 1985)उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन अधिनियम) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 कहलाऐगा.

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) यह आदेश उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन अधिनियम) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 कहलाऐगा.

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(2) "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :-

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985,में जहॉ-जहॉ शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहॉ-वहॉ वह शब्द "उत्तरांचल"के रुप में पढ़ा जावेगा।

ह० चोपड़ा

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

संख्या : 876/उद्यान/323/2002 तद्दिनांक –

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2. मुख्य सचिव ,उत्तरांचल शासन ।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास ,उत्तरांचल ।
4. समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी ,उत्तरांचल ।
6. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण ,उत्तरांचल ।
7. निदेशक ,शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , रुड़की ,हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायें ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(एस. पी. सुबुद्धि)
संयुक्त सचिव

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the constitution of india ,The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no ......8776...... dated 8/11/2002 for general information .

Government of Uttaranchal
Horticulture & Sericulture Department
No 876/Horti /2002
Dated . Dehradun 8/11,2002

NOTIFICATION

Whereas under section 87 of the Uttar Pradesh RE-ORGANISATION ACT , 2000, the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendments as necessary of expedient ;

And whereas theUttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985 is in force in the state of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act . 2000 .

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act , 2000(Act No 29 of 2000) , the Governor is pleased to the direct that the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985, shall have applicability to the state of Uttaranchal subject to the provisions of the following orders :-

Uttaranchal (the Uttar Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985) Adaptation & Modification Order 2002.

1.<u>Short Title & Commencement</u> (1) This order may be called Uttaranchal (the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985), Adaptation & Modification Order 2002.

(2) It shall come into force at once.

2,<u>To be Read "Uttaranchal" instead of "Uttar Pradesh"</u>:-
In the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985, wherever the expression " Uttar Pradesh " occurs it shall be read as "Uttaranchal".

(Sanjeev Chopra)
Secretary